

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी श्रीमती करुणा लाडोती (आर0ए0एस0)

राजस्व प्रकरण संख्या :- 16/2025

दर्ज दिनांक 03.02.2025

जीसीएमएस प्रकरण संख्या :- 2025/22

अन्तर्गत धारा :- 53 आर.टी.एक्ट

उनवान

1. मुकेश पुत्र छोगा जाट निवासी कोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. पारसी पत्नि छोगा जाट निवासी कोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1. नेनुराम पुत्र लेहरू जाट निवासी कोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. नारायण पुत्र लेहरू जाट निवासी कोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. मोहनी पत्नि लेहरू जाट निवासी कोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

:: अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 ::
(वास्ते अंतिम डिक्री जारी करने बाबत)

उपस्थित

1. फारुख मोहम्मद रंगरेज – अधिवक्ता वादी
2. प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 एकपक्षीय

:: निर्णय ::

दिनांक:- 12/2/2026

1. संक्षेप में वादपत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाद नियमित सुनवाई के इस न्यायालय के पूर्व आदेश दिनांक 23.09.2025 के द्वारा वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया गया है कि राजस्व ग्राम कोट पटवार हल्का कोट तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 के संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजियात का विवरण निम्नानुसार है-

| क्र.स. | ग्राम का नाम | खाता संख्या | आराजी संख्या | रकबा है0 में |
|--------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| 1 | कोट | 203 | 1106 | 1.53 |
| 2 | | | 1107 | 0.04 |
| 3 | | | 1119 | 1.35 |
| 4 | | | 1120 | 0.30 |
| 5 | | | 1132 | 0.22 |
| 6 | | | 1446 | 2.27 |
| 7 | | | 1447 | 0.18 |
| 8 | | | 1448 | 0.10 |
| 9 | | | 1449 | 0.14 |
| 10 | | | 381 | 0.28 |
| 11 | | | 382 | 0.66 |
| 12 | | | 384 | 0.61 |
| कुल किता, कुल रकबा | | | 12 | 7.68 |



करुणा लाडोती
(आर.टी.एक्ट)

उक्त भूमि में वादीगण का संयुक्त रूप से 1/2 हिस्से का मौके पर कब्जे को आधार मानते हुए बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस् के आधार पर विभाजन हेतु प्राथमिक डिक्री जारी की गई एवं तहसीलदार रायपुर से विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश करने का आदेश दिया गया था।

2. तहसीलदार रायपुर ने अपने पत्रांक/भू.अ./2025/1479 दिनांक 28.11.2025 से प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया।
3. तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रेषित उक्त विभाजन प्रस्ताव पर वादी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। वादी अधिवक्ता द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर सहमति जाहिर की तथा मौका कब्जा संबंधी किसी प्रकार का एतराज जाहिर नहीं किया, अतः प्रारम्भिक डिक्री की पालना स्वरूप उक्तानुसार प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुरूप अंतिम डिक्री जारी किया जाना उचित एवं न्याय संगत है।
4. अतः वादी का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर निम्नांकित भूमि उनके नाम के आगे अंकित खातेदारान के नाम राजस्व अभिलेखों में पृथक-पृथक अभिलिखित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

| क्र.सं. | खातेदार का नाम | ग्राम | आराजी नम्बर | रकबा (हे०) |
|---------|--|--------------------------------|-------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | मुकेश पिता छोगा 1/2, पारसी पत्नि छोगा 1/2 जाट सा. देह खातेदार रहन जीएसएस जोट हिस्सा पारसी पर | ग्राम कोट (खाता संख्या 203) | 1106 | 1.53 |
| | | | 1107 | 0.04 |
| | | | 1119 | 1.35 |
| | | | 1120 | 0.30 |
| | | | 1132 | 0.22 |
| | | | 1446/1 | 0.12 |
| | | | 1446/2 | 0.14 |
| | | 1449 | 0.14 | |
| | | योग | 8 | 3.84 |
| 2 | नेनुराम पिता लेहरू 1/3, नारायण पिता लेहरू 1/3, मोहनी पत्नि लेहरू 1/3 जाट सा.देह खातेदार | ग्राम कोट (खाता संख्या 203) | 1446/3 | 2.01 |
| | | | 1447 | 0.18 |
| | | | 1448 | 0.10 |
| | | | 381 | 0.28 |
| | | | 382 | 0.66 |
| | | 384 | 0.61 | |
| | | योग | 6 | 3.84 |

उक्तानुसार अन्तिम डिक्री जारी की जाती है। तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव में संलग्न राजस्व नक्शे के अनुसार विभाजन करते हुए तरमीम की जावे। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना-अपना वहन करे।



निर्णय आज दिनांक 12/12/26 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(करुणा लाडोती)
सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी, रायपुर (भीलवाड़ा)

(सहायक कलक्टर पदेन)
उपखण्ड अधिकारी, रायपुर (भीलवाड़ा)

मूल वाद में अन्तिम डिक्री
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी श्रीमती करुणा लाडोती (आर०ए०एस०)

राजस्व प्रकरण संख्या :- 16/2025

दर्ज दिनांक 03.02.2025

जीसीएमएस प्रकरण संख्या :- 2025/22

अन्तर्गत धारा :- 53 आर.टी.एक्ट

उनवान

1. मुकेश पुत्र छोगा जाट निवासी कोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. पारसी पत्नि छोगा जाट निवासी कोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1. नेनुराम पुत्र लेहरू जाट निवासी कोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. नारायण पुत्र लेहरू जाट निवासी कोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. मोहनी पत्नि लेहरू जाट निवासी कोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

:: अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 ::
(वास्ते अंतिम डिक्री जारी करने बाबत)


निर्णय दिनांक : 12/2/2026


डिक्री दिनांक : 12/2/2026

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसल कर्तई रुबरु न्यायालय उपखण्ड न्यायालय रायपुर बहाजरी अधिवक्ता वादी श्री फारुख मोहम्मद मन्सूरी, व पैरोकार सरकार हुकम दिया जाता हैं व डिक्री दी जाती है कि :-

वादपत्र वादी अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मे प्रस्तुत बटवाड़ा प्रस्ताव अनुसार निम्नानुसार राजस्व अभिलेखों में नाम दर्ज किया जावें। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना-अपना वहन करे।

| क्र.सं. | खातेदार का नाम | ग्राम | आराजी नम्बर | रकबा (हे०) |
|---------|--|--------------------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | मुकेश पिता छोगा 1/2, पारसी पत्नि छोगा 1/2 जाट सा. देह खातेदार रहन जीएसएस जोट हिस्सा पारसी पर | ग्राम कोट (खाता संख्या 203) | 1106 1107 1119 1120 1132 1446/1 1446/2 1449 | 1.53 0.04 1.35 0.30 0.22 0.12 0.14 0.14 |
| | | योग | 8 | 3.84 |
| 2 | नेनुराम पिता लेहरू 1/3, नारायण पिता लेहरू 1/3, मोहनी पत्नि लेहरू 1/3 जाट सा.देह खातेदार | ग्राम कोट (खाता संख्या 203) | 1446/3 1447 1448 381 382 384 | 2.01 0.18 0.10 0.28 0.66 0.61 |
| | | योग | 6 | 3.84 |





 जहायक कलक्टर
 (रायपुर जिला) राजस्थान

उक्तानुसार अन्तिम डिक्री जारी की जाती है। तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव में संलग्न राजस्व नक्शे के अनुसार विभाजन करते हुए तरमीम की जावे।


नीजNil.....मुबलिंग Nilबाबत् Nil
खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शहर Nilफीस दी सालाना आज की
तारीख से तारीख वसूलयाबी तक Nilका अदा करे।

बशब्द मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 12/12/2026 को जारी किया गया।


(करुणा लाड़ोती)
सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी, रायपुर (भीलवाड़ा)

| मुद | रूपया | पैसे | मुदायला | रूपया | पैसे |
|-----------------------|-------|------|-----------------------|-------|------|
| स्टाम्प अरजीदया | — | | स्टाम्प अरजीदया | — | |
| स्टाम्प वकीलात नामा | — | | स्टाम्प वकीलात नामा | — | |
| स्टाम्प वजह सबूत | — | | स्टाम्प वजह सबूत | — | |
| महनताना वकील () | — | | महनताना वकील () | — | |
| खर्चा गवाह | — | | खर्चा गवाह | — | |
| फीस कमीशनर | — | | फीस कमीशनर | — | |
| बाबत् इजराय हुक्मनामा | — | | बाबत् इजराय हुक्मनामा | — | |
| मुनफरिक | — | | मुनफरिक | — | |
| मीजान | | | मीजान | | |




सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी, रायपुर (भीलवाड़ा)
(करुणा लाड़ोती)